



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220903
CG-DL-E-06082020-220903

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2296]
No. 2296]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SHRAVANA 14, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2020

का. आ. 2594(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3073(अ) तारीख 20 अगस्त 2019, जो भारत के राजपत्र तारीख 27 अगस्त 2019, में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कर्णाटका राज्य में "इरुगुर - देवनगुंथी पाइपलाइन परियोजना" के अन्तर्गत पेट्रोलियम परिवहन के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 3073(अ) तारीख 27 अगस्त 2019, की सूचना संबंधित भु-स्वामियों को तारीख 22 नवम्बर 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुक:-मलुर	जिला:- कोलार		राज्य:- कर्णाटक		
ग्राम	सर्वे/ब्लाक /सं. (प्लोट सं.)	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
अलमबाडी	89	--	01	24	08
	88	--	00	17	13
	87	--	00	77	39
सोनूर	120	--	00	00	11
	121	--	00	08	25
	122	--	00	08	94
	123	--	00	08	89
	124	--	00	04	75
	112	--	00	05	86
	126	--	00	09	06
	104	--	00	07	46
	13	--	00	20	64
	12	1	00	07	26
	14	2	00	08	99
	15	--	00	19	33
	16	1	00	08	31

सोनूर	16	4	00	01	66
जारी...	16	3	00	00	87
	16	2	00	00	18
	17	1	00	18	68
	19	1	00	15	34
	20	2	00	01	06
	20	1	00	06	76
	45	1	00	17	09
	44	2	00	03	17
	44	3	00	03	18
	44	7	00	04	10
	44	4	00	03	40
	44	5	00	04	97
	44	1	00	08	47
	49	6	00	00	24
	49	8	00	00	88
	43	1	00	07	27
	43	2	00	10	84
	42	3	00	07	76
सड़क	--	--	00	03	39
	29	1	00	09	02
	41	4	00	09	40
	41	3	00	07	14
	41	1	00	12	18
सड़क	--	--	00	01	60
	40	2	00	02	99
	39	3	00	04	58
	38	2	00	00	75
	38	1	00	16	11
जयामंगला	152	2	00	05	92
	167	2	00	02	53

जयामंगला	167	1	00	06	68
जारी...	168	2	00	00	10
	168	1	00	04	32
	172	2	00	04	23
	170	5	00	01	64
	170	4	00	06	79
	170	3	00	00	28
	182	2सी	00	03	52
	183	1	00	00	10
	184	9	00	05	51
	184	8	00	01	62
	184	5	00	04	02
	184	4	00	02	93
	184	3	00	01	71
	184	1	00	01	43
	185	8	00	00	10
	185	7	00	05	43
	185	6	00	00	10
	185	1	00	04	43
	195	--	00	37	53
जगदेन्नाहल्ली	66	--	00	15	02
लक्कुर	185	--	00	11	27
	193	--	00	05	85
	192	2	00	06	06
	192	1	00	00	68
	188	3	00	00	24
	188	1	00	01	56
	189	2	00	04	34
	189	3	00	02	40
	189	1	00	03	85
	190	2	00	00	10

लक्कुर	190	1	00	12	51
जारी...	190	5	00	00	10
	144	3	00	11	59
	198	2	00	10	04
	198	1	00	07	26
	199	--	00	14	38
	200	2	00	10	34
	200	1	00	09	20
	229		00	04	88
	228	2	00	04	69
	228	1	00	11	83
	227	1	00	07	37
	226	--	00	11	69
	225	--	00	01	55
नाला		--	00	02	58
	224	5	00	18	12
	224	4	00	05	54
सडक		--	00	02	32
परती		--	00	06	75
	233	3	00	00	10
	233	4	00	10	46
नाला		--	00	02	26
	234	--	00	00	10
	322	--	00	12	91
नाला		--	00	02	31
	259	--	00	05	30
	260	2	00	03	78
	257	--	00	25	20
नाला		--	00	03	04
	267	1	00	02	65
	268	2	00	04	09

लक्कुर	268	4	00	02	25
जारी...	268	5	00	02	24
	269	2	00	10	27
नाला	--	--	00	02	58
	271	2	00	04	39
	320	1	00	01	20
	270	2	00	17	54
	270	4	00	02	40
	272	--	00	15	29
	314	4	00	03	85
	314	3	00	04	50
	314	2	00	04	29
	314	1	00	03	88
	316	4	00	14	73
	334	--	00	14	16
	273	--	00	96	75
यट्टकोडी	8	3	00	00	14
	8	2	00	06	73
	8	1	00	18	86
	9	--	00	23	92
	10	--	00	14	79
	11	--	00	25	37

[फा. स. आर.-11025(15)/1/2019-ओ.आ-1/ई-29453]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2020

S.O. 2594(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. No. 3073 dated the 20th August, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 27th August, 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying a Pipeline “Irugur –

Devangonhi” for the transportation of Petroleum Products in the state of Karnataka by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification *vide* S.O. No. 3073 dated the 20th August, 2019, were made available to the concerned land owner by 22nd November, 2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluk : Malur	District:- Kolar		State :- Karnataka		
Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Alambadi	89	--	01	24	08
	88	--	00	17	13
	87	--	00	77	39
Sonnur	120	--	00	00	11
	121	--	00	08	25
	122	--	00	08	94
	123	--	00	08	89
	124	--	00	04	75
	112	--	00	05	86
	126	--	00	09	06
	104	--	00	07	46
	13	--	00	20	64
	12	1	00	07	26
	14	2	00	08	99

Sonnur	15	--	00	19	33
Contd...	16	1	00	08	31
	16	4	00	01	66
	16	3	00	00	87
	16	2	00	00	18
	17	1	00	18	68
	19	1	00	15	34
	20	2	00	01	06
	20	1	00	06	76
	45	1	00	17	09
	44	2	00	03	17
	44	3	00	03	18
	44	7	00	04	10
	44	4	00	03	40
	44	5	00	04	97
	44	1	00	08	47
	49	6	00	00	24
	49	8	00	00	88
	43	1	00	07	27
	43	2	00	10	84
	42	3	00	07	76
Road		--	00	03	39
	29	1	00	09	02
	41	4	00	09	40
	41	3	00	07	14
	41	1	00	12	18
Road		--	00	01	60
	40	2	00	02	99
	39	3	00	04	58
	38	2	00	00	75
	38	1	00	16	11

Jayamangala	152	2	00	05	92
	167	2	00	02	53
	167	1	00	06	68
	168	2	00	00	10
	168	1	00	04	32
	172	2	00	04	23
	170	5	00	01	64
	170	4	00	06	79
	170	3	00	00	28
	182	2C	00	03	52
	183	1	00	00	10
	184	9	00	05	51
	184	8	00	01	62
	184	5	00	04	02
	184	4	00	02	93
	184	3	00	01	71
	184	1	00	01	43
	185	8	00	00	10
	185	7	00	05	43
	185	6	00	00	10
	185	1	00	04	43
	195	--	00	37	53
Jagadenahalli	66	--	00	15	02
Lakkur	185	--	00	11	27
	193	--	00	05	85
	192	2	00	06	06
	192	1	00	00	68
	188	3	00	00	24
	188	1	00	01	56
	189	2	00	04	34
	189	3	00	02	40

Lakkur	189	1	00	03	85
Contd...	190	2	00	00	10
	190	1	00	12	51
	190	5	00	00	10
	144	3	00	11	59
	198	2	00	10	04
	198	1	00	07	26
	199	--	00	14	38
	200	2	00	10	34
	200	1	00	09	20
	229		00	04	88
	228	2	00	04	69
	228	1	00	11	83
	227	1	00	07	37
	226	--	00	11	69
	225	--	00	01	55
	Nala	--	00	02	58
	224	5	00	18	12
	224	4	00	05	54
	Road	--	00	02	32
	Parti	--	00	06	75
	233	3	00	00	10
	233	4	00	10	46
	Nala	--	00	02	26
	234	--	00	00	10
	322	--	00	12	91
	Nala	--	00	02	31
	259	--	00	05	30
	260	2	00	03	78
	257	--	00	25	20
	Nala	--	00	03	04
	267	1	00	02	65
	268	2	00	04	09

Lakkur	268	4	00	02	25
Contd...	268	5	00	02	24
	269	2	00	10	27
	Nala	--	00	02	58
	271	2	00	04	39
	320	1	00	01	20
	270	2	00	17	54
	270	4	00	02	40
	272	--	00	15	29
	314	4	00	03	85
	314	3	00	04	50
	314	2	00	04	29
	314	1	00	03	88
	316	4	00	14	73
	334	--	00	14	16
	273	--	00	96	75
Yattakodi	8	3	00	00	14
	8	2	00	06	73
	8	1	00	18	86
	9	--	00	23	92
	10	--	00	14	79
	11	--	00	25	37

[F. No. R-11025(15)/1/2019-OR-I/E-29453]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.